

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,  
मुख्य सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/राजस्व विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/कृषि विभाग/दिव्यांग—जन सशक्तिकरण विभाग/दुर्घट विकास विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/वन विभाग/लघु सिंचाई विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग—3

लखनऊ

दिनांक 10 सितम्बर, 2018

**विषयः— 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/ वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार किए जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0—के.—14016/02/2018—पी.सी., दिनांक 13 अगस्त, 2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 की नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने की अपेक्षा करते हुए पंचायतों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों पर कार्य किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

उक्त हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों की उपस्थिति दिनांक 02 अक्टूबर—31 दिसम्बर, 2018 के मध्य होने वाली ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। ताकि ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का उचित आंकलन किया जा सके। पंचायतों के सामाजिक—आर्थिक विकास हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत का मूल्यांकन ‘मिशन अंत्योदय’ में उपयोग की गई प्रक्रिया के माध्यम से सितम्बर, 2018 में पूर्ण किया जाये, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत की संरचनात्मक, आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर रैकिंग की जाएगी ताकि ग्राम सभा की बैठक में विकास में आ रही कमियों को दूर करने के सम्बंध में प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार से आवश्यक सुझावों/आवश्यकताओं को वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाते हुए ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात् प्लान—प्लान एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाये। जी.पी.डी.पी. नियोजन के अनुश्रवण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना पर विशेष पोर्टल ([gpdp.nic.in](http://gpdp.nic.in)) भी विकसित किया गया है।

उक्त के क्रम में दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. तैयार करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार निम्नलिखित एजेंडा बिन्दुओं का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए—

| क्र0 | एजेण्डा   | समयावधि                      |
|------|---|------------------------------|
| 1    | ग्राम पंचायत विकास योजना (वर्ष 2019–20) हेतु प्रचार—प्रसार एवं जन—जागरूकता अभियान के माध्यम से वातावरण निर्माण। | 08 सितम्बर, 2018 से प्रारम्भ |

- 2 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 'मिशन अंत्योदय' की प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना एवं डाटा अपलोडिंग का कार्य (इस सम्बंध में सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र सं0 # Secy (RD)/Misc/2018, दिनांक 24 अगस्त, 2018 से ग्राम्य विकास विभाग को पृथक से निर्देशित किया जा चुका है।)
- 3 ग्राम सभा की बैठक के आयोजन एवं उसमें अधिकारियों/ कर्मियों की उपस्थिति की समय-सारिणी निर्गत किया जाना।
- 4 वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की दो बैठकों का अनिवार्य रूप से आयोजन।
- 4.1. ग्राम सभा की प्रथम बैठक में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, वित्तीय एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों का विवरण दिया जाना एवं आवश्यक आवश्यकताओं का निर्धारण/चिह्निकरण।
- 4.2. ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष अनिवार्य आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए ड्राफ्ट कार्ययोजना तैयार करना एवं उसका ग्राम सभा की द्वितीय बैठक में अनुमोदन कराया जाना।
- 5 ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थल पर वार्षिक कार्ययोजना /जी.पी.डी.पी. एवं अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु सूचना-पटिका/बोर्ड लगाया जाना।
- 6 अंतिम रूप से अनुमोदित कार्ययोजना को प्लान-प्लस पर अपलोड किया जाना।
- उक्त रूप से निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को एक अभियान के रूप में चलाते हुए ग्राम सभा की बैठक से पूर्व, ग्राम सभा की बैठक की अवधि में एवं ग्राम सभा की बैठक के पश्चात् की जाने वाली गतिविधियों को संलग्नक-1 पर उपलब्ध सूची के अनुसार कराया जाये।
  - गतिविधियों के समय क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति उत्तरदायी होगी।
  - प्रत्येक विभाग कार्यक्रम अवधि में अपने विभाग से एक अधिकारी को कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित करेगा, जिसका पंजीकरण [www.gpdp.nic.in](http://www.gpdp.nic.in) पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि अपने विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।
  - ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना के तैयार किए जाने की अवधि में रिपोर्टिंग एवं ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत 14वें वित आयोग के प्रशासनिक एवं तकनीकी मद से अधिकतम धनराशि रु0 2500/-तक व्यय कर सकती है। उक्त कार्य हेतु सीमित अवधि के लिए मानव संसाधन की सेवाएं ली जा सकती हैं, जो कि ग्राम सभा के आयोजन, रिपोर्टिंग एवं योजना निर्माण में ग्राम पंचायत की सहायता करेंगे एवं

[www.gpdp.nic.in](http://www.gpdp.nic.in) पर सूचनाएं ससमय अपलोड करेंगे। उचित व्यक्ति का चयन—ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों/स्वयं सहायता समूह महिलाओं/ग्राम रोजगार सेवक अथवा अन्य सक्रिय स्वयंसेवी व्यक्ति में से किया जा सकता है, चूंकि इस प्रक्रिया में जन—जागरूकता, ग्राम सभाओं का आयोजन एवं रिपोर्टिंग का कार्य ऑनलाइन किया जाना है अतः इस प्रक्रिया में लगाए व्यक्ति शिक्षित, कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन को संचालित करने में सक्षम हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए।

- मिशन अंत्योदय के एप पर आधारित सामाजिक—आर्थिक सर्वेक्षण में आने वाले व्यय का वहन मनरेगा एवं दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना—आजीविका मिशन की प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जाएगा।
- इस प्रकार से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप ही वर्क आई.डी. विकसित करते हुए ही कार्य कराए जाए, बिना वर्क आई.डी. निर्गत कराए गए कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएंगे।
- ग्राम पंचायतों द्वारा यह अवश्य ध्यान रखा जाए वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि से वार्षिक कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत 10—15 प्रतिशत अधिक रखी जाये। उदाहरणतः यदि किसी ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष में 10 लाख रु० प्राप्त होने की सम्भावना है तो उस ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना की अनुमानित लागत 11—11.5 लाख रु० से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए।

अतः कृपया उक्तानुसार ग्राम पंचायत विकास योजना को जन अभियान बनाते हुए दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर के मध्य जनपदों में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की कार्यवाही पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

#### संलग्नक:—यथोक्त



भवदीय,  
 (अनूप चन्द्र पाण्डेय)  
 मुख्य सचिव।

#### संख्या व दिनांक:— तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ अफसर, कृषि अत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मंडलायुक्त, उप्र०।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
9. गार्ड फाइल।



आज्ञा से  
 (राजेन्द्र कुमार तिवारी)  
 अपर मुख्य सचिव।

## ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण, वर्ष 2019-20 के नियोजन हेतु उप-गतिविधियों की सूची

| क्र. सं. | चरण   | गतिविधियाँ  | उप-गतिविधियाँ   | उत्तरदायी विभाग / संस्था                                       | समयावधि                            |
|----------|---|---|---|--|------------------------------------|
| 1        | ग्राम सभा की बैठक से जनपद स्तर पर जनपद स्तर पर प्रचार।  | 1. जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के निर्माण एवं समिति की बैठक का आयोजन।<br>2. ग्राम सभा के आयोजन का रेस्टर एवं उसमें अधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति की समय-सारिणी निर्गत किया जाना।<br>3. ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार किए जाने हेतु सहयोगी/ मानव संसाधन का निर्धारण एवं अभियुक्तीकरण।<br>4. प्रचार-प्रसार हेतु जनपद में मीडिया कार्यशाला का आयोजन। | जिला पंचायत राज अधिकारी   | जिला पंचायत राज अधिकारी / जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति। | 08 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2018 तक। |
| 2        | ग्राम सभा सभा की बैठक के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं ग्राम सभा की बैठक का एजेंडा निर्माण किया जाना। | 1. ग्राम पंचायत की बैठक, दीवार-लेखन, बोर्ड/ सूचना-पटिका की स्थापना, ऐली, वार्ड-वार बैठक, माइकिंग, नुकङ्ग नाटक अथवा अन्य उपायों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रचार-प्रसार।<br>2. निर्धारित एजेंडा प्रारूप (संलग्नक-2) पर ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की पूर्व सूचना दिया जाना।   | पंचायती विभाग<br>ग्राम पंचायत/<br>पंचायती राज विभाग।  | राज<br>राज<br>राज  | 20 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2018 तक। |
| 3        | आयोजन से पूर्व की तैयारी।   | मिशन अंत्योदय के एप्लीकेशन पर ग्राम पंचायत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण एवं डाटा अपलोड किया जाना।<br>3. सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ग्राम पंचायत को 02 अक्टूबर, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना।  | 1. सर्वेक्षण हेतु फैसीलिटेटर का निर्धारण (एस.एस.जी./ रोजगार सेवक अथवा ग्राम विकास विभाग द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति)<br>एवं उनका प्रशिक्षण।<br>2. सर्वेक्षण कराया जाना एवं डाटा को अंत्योदय एप पर अपलोड किया जाना।<br>3. सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ग्राम पंचायत को 02 अक्टूबर, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना। | ग्राम विकास विभाग।   | 01 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2018 तक। |

| क्र. सं. | चरण  | गतिविधियाँ  | उप-गतिविधियाँ  | उत्तरदायी विभाग/ संस्था                 | समयावधि                                  |
|----------|--|---|--|---|--|
| 4        |  |   | 1. एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 15 दिवस के अन्तराल पर ग्राम सभा की दो बैठकों का आयोजन। ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची संलग्नक-3 पर उपलब्ध है।                   | ग्राम पंचायत                            | 02 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक। |
| 5        | ग्राम सभा की बैठक के आयोजन                                 | प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की दो बैठकों के आयोजन।                                     | 2. ग्राम सभा की बैठकों में विभिन्न विभागों के फ्रन्ट-लाइन कर्मियों/पंचायत स्तरीय कर्मियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना एवं उनके माध्यम से विभागीय योजना की जानकारी ग्राम सभा को देना। | समस्त विभाग द्वारा।                     |  |
| 6        | ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की अवधि में किए जाने वाले कार्य | प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की दो बैठकों के आयोजन।                                     | 3. ग्राम सभा का कार्यवृत्त लिखा जाना एवं बैठक की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाना।   | ग्राम पंचायत                            |  |
| 7        |  |   | 4. ग्राम पंचायत विकास योजना का अंतिम दस्तावेज (जी.पी.डी.पी. के दस्तावेज को तैयार करने हेतु आवश्यक विवरण की अनुक्रमणिका—संलग्नक-4) तैयार करना एवं सभी उपस्थिति दर्ज करना।               |   |  |
| 8        |  |   | 5. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट <a href="http://www.gpdp.nic.in">www.gpdp.nic.in</a> पर रिपोर्टिंग का कार्य (रिपोर्टिंग प्रारूप संलग्नक-5)।                             |   |  |
| 9        |  |   | 1. ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर जी.पी.डी.पी. एवं अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु सूचना-पटिका/ बोर्ड लगाया जाना।  | दिनांक 15 सितम्बर, 2018 तक              |  |
| 10       | ग्राम सभा की बैठक के आयोजन के पश्चात के कार्य              | ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया का आउट लेकर एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में सुनिश्चित रखना। | ग्राम पंचायत   | 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य। |  |
| 11       |  |   | 3. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिए गए कार्यों एवं गत वर्षों में कराए गए कार्यों को बोर्ड/प्लैक्स/ वॉल-राइटिंग के माध्यम से सामुदायिक स्थल पर अंकित किया जाएगा।                        |   |  |
| 12       |  |   |  |   |  |

जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन का एजेण्डा  
“हमारी योजना हमारा विकास”

बैठक की तिथि .....

बैठक का स्थान.....

ग्राम पंचायत का नाम..... एल.जी.डी. कोड.....

विकास खण्ड का नाम..... जिला..... राज्य.....

• एजेंडा :वार्षिक कार्ययोजना (वित्तीय वर्ष 2019–20) तैयार किया जाना।

• मीटिंग में सदस्यों, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति।

• एजेण्डा बिन्दु।

1. ग्राम पंचायतों के सरपंच/प्रधान ग्राम सभा की बैठक का उद्देश्य बतायेंगे।
2. ग्राम पंचायत सचिव जी.पी.डी.पी. के उद्देश्य एवं परिकल्पना पर चर्चा करेंगे।
3. सुविधादाताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत एकत्रित रैंकिंग पैरामीटर और डाटा की प्रस्तुति और सत्यापन किया जाना।
4. ग्राम सभा के समक्ष स्वयं सहायता समूहों/ग्राम आधारित संस्थाओं द्वारा गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी उन्मूलन की कार्य योजना संबंधित प्रस्तुतिकरण करना।
5. मिशन अंत्योदय में सर्वे के दौरान प्राप्त कमियों पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तीन वर्गों जैसे अति आवश्यक, आवश्यक, वांछित में बांटा जाना।
6. संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243G की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से ग्राम पंचायत में समायोजित विषयों पर प्रस्तुतिकरण करना।

संविधान के अनुच्छेद-243G के अनुसार 29 विषयों की सूची।

### 11वीं अनुसूची

1. कृषि विकास एवं विस्तार।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार, लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि सख्करण।
3. पशुपालन, दुध व्यवसाय तथा मत्पालन।
4. मत्स्य उद्योग।
5. लघु सिवाई, जल प्रबंधक एवं नदियों के मध्य भूमि विकास।
6. वन विकास।
7. लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग शामिल है।
8. ग्रामीण विकास।
9. पोने का शुद्ध पानी।
10. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।

### 11वीं अनुसूची

11. ईंधन तथा पशु चारा।
12. सड़क, पुल, तट जलमार्ग तथा सचार के अन्य साधन।
13. वन जीवन तथा कृषि खेती (वनों में)।
14. ग्रामीण विजली व्यवस्था।
15. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत।
16. यात्रिक प्रशिक्षण एवं यात्रिक शिक्षा।
17. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सम्बद्धी विद्यालय।
18. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
19. वयस्क एवं बुजुर्ग शिक्षा।
20. पुस्तकालय।

### 11वीं अनुसूची

21. बाजार एवं मेला।
22. सांस्कृतिक कार्यक्रम।
23. अस्पताल, प्राधारिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें दवाखाने शामिल हैं।
24. पारिवारिक समृद्धि।
25. सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलाग एवं मानसिक समृद्धि शामिल है।
26. महिला एवं बाल विकास।
27. समाज के कमज़ोर वर्ग की समृद्धि जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों शामिल हैं।
28. लोक विभाजन पद्धति।
29. सार्वजनिक सपत्ति की नेखरेख।

7. वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और फंड उपयोग की समीक्षा।
8. वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।
9. ग्राम सभा में कमियों (GAP) के कारणों पर चर्चा कर सकती है और कमियों को दूर करने हेतु गतिविधियों का प्रस्ताव दे सकती है।
10. ग्राम पंचायत में पायी गयी कमियों के आधार पर ग्राम सभा गतिविधियों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित कर सकती है। जैसे संपत्ति का निर्माण एवं रख—रखाव, कम लागत/बिना लागत (उदाहरण—समुदाय को 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन, ओ.डी.एफ./ओ.डी.एफ. प्लस, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक विषयों पर जागरूकता आदि)।
11. पंचायत की कमियों का विश्लेषण एवं प्राथमिकता निर्धारित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप देना।
12. बुनियादी नागरिक सेवायें प्रदान करने संबंधी गतिविधियाँ जैसे कि जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा, जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों का रख रखाव, सड़कों का रख—रखाव, फुटपाथ, सड़क प्रकाश व्यवस्था, अन्त्येष्टि स्थल और श्मशान भूमि की योजना 14वें वित्त की धनराशि से की जाएगी।
13. ग्राम सभा विकास संबंधी गतिविधियों की प्राथमिकता सूची पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। यह प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने पढ़ा जायेगा और तदनुसार दस्तावेजीकरण किया जायेगा।
14. People's Plan Campaign Portal पर ग्राम सभा की जियो टैग फोटो अपलोड किये जायेंगे
15. सार्वजनिक सूचना बोर्ड के फोटो भी जियो टैग किये जायेंगे।

**जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के दौरान ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति विवरण का प्रारूप**

**“हमारी योजना हमारा विकास”**

विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण हेतु चर्चा के बिन्दुः—

- विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने विभाग की योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ के विषय में विस्तार से बताया जाएगा, साथ ही योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका एवं जी.पी.डी.पी. में समावेश करने की आवश्यकता को भी प्रस्तुत करेंगे।

| क्र.सं. | योजना का नाम | योजनान्तर्गत गतिविधियाँ | अनुमोदित लाभार्थी चयन हेतु पात्रता के माप दंड | योजना के लाभ/मिलने वाले अधिकार |
|---------|--------------|-------------------------|---|--------------------------------|
|         |              |                         |   |                                |
|         |              |                         |   |                                |
|         |              |                         |   |                                |

- वर्ष 2018–19 में ली गयी गतिविधियों एवं प्रगति समय–सीमा

| क्र. सं. | गतिविधि का नाम | लाभार्थियों की सूची | गतिविधि वार प्रगति |              |                   |                    |                   |                      |
|----------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|          |                |                     | प्रगति             |              |                   | समय–सीमा           |                   | व्यय धनराशि का विवरण |
|          |                |                     | गतिविधि पूर्ण      | प्रक्रियाधीन | अभी प्रारम्भ नहीं | निर्धारित समय–सीमा | वास्तविक समय–सीमा | प्राविधानित          |
|          |                |                     |                    |              |                   |                    |                   |                      |
|          |                |                     |                    |              |                   |                    |                   |                      |

- वर्ष 2018–19 में ली गयी गतिविधियों का विवरण—

| क्र.सं. | गत् वर्ष की प्रस्तावित गतिविधियाँ | नई प्रस्तावित गतिविधियाँ | प्रस्तावित योजना | कार्यवाही |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
|         |                                   |                          |                  |           |
|         |                                   |                          |                  |           |
|         |                                   |                          |                  |           |

- प्रारूप की एक प्रति विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की बैठक के दौरान सौंप दी जायेगी।

ग्राम सभा की बैठक के आयोजन हेतु आवश्यक सम्भावित दस्तावेजों की सूची

1. ग्राम सभा की बैठक के आयोजन का एजेण्डा।
2. ग्राम पंचायत में जन्म एवं मृत्यु का विवरण।
3. ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी विश्लेषण/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
4. वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना/ जी.पी.डी.पी. का विवरण।
5. ग्राम पंचायत द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि एवं कराए गए कार्यों का विवरण।
6. ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों (रिसोर्स एनवलप) का विवरण (मानव संसाधन/ग्राम निधि/ स्वयं की आय/स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त धनराशि/सी.एस.आर./विधायक निधि/सांसद निधि अथवा अन्य किसी योजना से प्राप्त धनराशि)।
7. ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के सम्बंध में शासन द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देशों की प्रति।

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने का प्रारूप / दस्तावेज में  
सम्मिलित होने वाले विभिन्न आवश्यक विषय

1. अनुक्रमणिका
2. प्रस्तावना (ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता एवं ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण)
3. ग्राम पंचायत का संक्षिप्त परिचय (ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत की प्रोफाइल, संरचनात्मक एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण—(प्रोफाइल का प्रारूप विभागीय वेबसाइट के शासनादेश सं0 2618 / सी.एस./ 33-3-2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध है) ग्राम पंचायत का विजन स्टेटमेंट (ग्राम पंचायत की सोच एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण)
4. ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी विश्लेषण/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
5. बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रतिभागियों की सूची।
6. ग्राम पंचायत विकास योजना/ वार्षिक कार्ययोजना में प्राथमिकता में लिए गए कार्यों का विवरण (कार्यों के विवरण में कार्यों में आने वाला व्यय, आय का ऊंचाई, निर्मित परिसर्पणता का विवरण, कम-लागत/ बिना-लागत के कार्यों का विवरण, क्षेत्रवार विवरण भी आवश्यक रूप से सम्मिलित रहेगा।(प्रारूप सम्बन्धी विवरण विभागीय वेबसाइट के शासनादेश सं0 2618 / सी.एस./ 33-3-2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध है।)
7. कार्यवार विवरण के साथ आपेक्षित परिणामों को भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग बनाया जाना चाहिए।
8. सहभागी नियोजन हेतु किए गए मानचित्रीकरण अथवा अन्य पी.आर.ए. गतिविधियों की प्रति।
9. ग्राम सभा की बैठक के फोटोग्राफ्स।

जनपद द्वारा नामित स्वयं सहायता समूह/टास्क फोर्स/अन्य सदस्य का रिपोर्टिंग प्रारूप

| क्र.सं. | कार्यक्षेत्र  | टिप्पणी |
|---------|---|---------|
| 1       | ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या   |         |
| 2       | ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या   |         |
| 3       | ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या   |         |
| 4       | ग्राम सभा में उपस्थित स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या   |         |
| 5       | ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं की संख्या   |         |
| 6       | विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग एवं प्रस्तुतिकरण किया जाना                                |         |
| 6.1     | पंचायतीराज विभाग  |         |
| 6.2     | ग्राम्य विकास विभाग   |         |
| 6.3     | कृषि विभाग  |         |
| 6.4     | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग   |         |
| 6.5     | महिला एवं बाल विकास विभाग   |         |
| 6.6     | ऊर्जा विभाग   |         |
| 6.7     | रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग  |         |
| 6.8     | पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग (अन्य)  |         |
| 7       | मिशन अन्त्योदय अन्तर्गत एकत्रित डेटा की प्रस्तुति एवं पुष्टि  |         |
| 8       | स्वयं सहायता समूह द्वारा गरीबी संबंधित मुददों एवं गरीबी उन्मूलन की योजना का प्रस्तुतिकरण                  |         |
| 9       | जी०पी०डी०पी० पर विचार-विमर्श  |         |
| 9.1     | वर्तमान वर्ष में हुई गतिविधियां एवं बजट के उपयोग की समीक्षा   |         |
| 9.2     | ग्राम पंचायत को वर्ष 2019–2020 में सम्भवतः उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर चर्चा                             |         |
| 8.3     | मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों एवं उन्हें कम करने हेतु प्रस्तावित हस्तक्षेपों पर चर्चा |         |
| 8.4     | जी०पी०डी०पी० पर पारित संकल्प का ग्राम सभा दर्ज किया जाना  |         |
| 9       | प्रगति में ग्राम सभा की फोटो को जियो टैग करना   |         |
| 10      | सार्वजनिक सूचना बोर्ड की फोटो को जियो टैग करना  |         |

नोट:-संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति टिप्पणी में दर्ज की जायेगी।